

188

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2018 निगरानी

निगरानी - 3761/2018/शाजापुर/भू 2-18

- 1- लीलाबाई पत्नि श्री नाथू सिंह आयु 65 साल
- 2- नाथू सिंह पुत्र भवर जी आयु 68 साल
- 3- कुंजी सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह आयु 40 साल
- 4- मुकेश पुत्र श्री नाथू सिंह आयु 38 साल सभी जाति मीना व्यवसाय कृषि, समस्त निवासीगण ग्राम बापचा तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0

----- आवेदकगण / निगरानीकर्ता

बनाम

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह आयु 40 साल निवासी ग्राम बापचा तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0

----- अनावेदक / रिस्पोंडेन्ट



निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सहिता विरुद्ध आदेश दनाक 15-6-18 जो कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ~~486/2018~~ / ~~2018~~ / 75 / 2018 व उनवान लीलाबाई आदि बनाम राजेन्द्र सिंह मे पारित कर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

श्री. च-4921 श्री वास्तव लक्ष्मी
द्वारा आज दि. 22-6-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 4-7-18 नियत।
क्लक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3761/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p>	